12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 23/15 तारीख रजू– 28/12/15

सहायक अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग ,उपखण्ड द्वितीय भाडौती , जिला सवाई माधोपुर
––––निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– ओमप्रकाश गोयल पुत्र बिरदी चन्द्र गोयल जाति महाजन निवासी मलारना डूगंर तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर
2– संरपंच ग्राम पंचायत मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 8/12/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मलारना डूगंर मिसल संख्या 63 दायर दिनांक 07/08/1999 में पारित निर्णय दिनांक 15/10/99 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत मलारना डूगंर ने अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारां पारित निर्णय दिनांक 15/10/99 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थी संख्या 1 मय वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत मलारना डूगंर अप्रार्थी संख्या 1 को एक भूखण्ड का 15/10/99 को पट्टा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड के खं0नं0 960 की किस्म गै0मु0सड़क है। जिसका पट्टा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, साथ ही ग्राम पंचायत की आदेशिका में आगामी दिनांक 30/10/99 निर्धारित कर रखी है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पन्द्रह दिवस पूर्व ही उक्त पट्टा जारी कर कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर सार्वजनिक सूचना जारी किये बिना ही मात्र 2 माह में पंचायत अधिनियम एक्ट की पालना करे बिना ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ओ0डी0आर0 सड़कों में निर्धारित 15 मीटर भूमि छोड़कर पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 12 फिट रोड छोड़कर पट्टा दिया गया जो बरसाती पानी के नाले की भूमि है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/10/99 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि निगरानीगुजार द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 15/10/99 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की है। निगरानीगुजार द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय 30/10/99 के स्थान पर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

15/10/99 को कर देने से निगरानीगुजार किस प्रकार प्रभावित हुआ है। यह निगरानीगुजार द्वारा अपनी निगरानी एवं बहस में कही अवगत नहीं कराया है। निगरानीगुजार द्वारा उक्त वाद आराजीयात गै0मु0सड़क व गै0मु0नाला बताया है। लेकिन कोई प्रमाणित राजस्व रिकोर्ड व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त वाद आराजतीयात आवंटन के समय गै0मु0सड़क या गै0मु0नाला दर्ज हो। उक्त पट्टा निर्णय दिनांक 15/10/99 के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय हाजा में एक निगरानी प्रस्तुत हुई थी। उक्त निगराानी संख्या 1/2001 है। जिसमें पारित निर्णय 26/06/2001 के अनुसार पट्टा को सही माना गया है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी उक्त पट्टे को सही माना गया है। जब पूर्व में उक्त पट्टे के संबंध में निगरानी न्यायालय हाजा में पेश हो चुकी है। जिससे पट्टे को सही माना गया है एवं उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी पट्टे को सही माना गया है तो अब इस निगरानी को कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15/10/99 यथावत रखने का निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त पट्टे के संबंध में पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26/06/2001 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसमें उक्त पट्टा सही माना गया है । उक्त निगरानी के संबंध में निगरानी गुजार द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26/06/2001 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन संख्या 2232/2002 पेश की थी। जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन निरस्त की जा चुकी है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07/08/99 में उक्त भूमि सम्वत् 1984 में 54.50 पैसे में बृजदेवलाला चेला सुखदेव लाला से खरीदाना बताया है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद–आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना सिद्ध होता है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया है , साथ ही दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में संलग्न न्यायालय सिविल न्यायाधिश क0ख0 बौली के दिवानी वाद संख्या 34/98 निर्णय दिनांक 26/10/98 में अप्रार्थी संख्या 1 की खरीद व कब्जेशुदा जमीन/प्लांट पर स्थाई निषेधज्ञा जारी की हुई है। ऐसी स्थिती में उक्त वाद–आराजीयात पर प्रार्थी का पूर्व से कब्जा का साबित होना प्रतीत होता है, साथ ही निगरानी गुजार द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त वाद आराजीयात गै0मु0सड़क या नाले की जमीन हो। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 63 दायर दिनांक 07/08/99 निर्णय दिनांक 15/10/99 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.12.17 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

... पत्र क्रमांक
... गुजार ...
... प्रार्थना पत्र ...
... की संख्या ...
... शब्द ...
... शुल्क ...
... करने नोटिस नकल तैयारी ...
... नकल ...
... नकल नवीस ...